राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2712

11 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड में वरिष्ठता निर्धारित करने में अनियमितताएं

2712. श्री धीरज प्रसाद साहू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) में वरियता क्रम के निर्धारण में अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वरिष्ठता निर्धारित करने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क): कैलेण्डर वर्ष 2017, 2018 तथा 2019 (नवंबर, 2019 तक) के दौरान सेल के सतर्कता विंग को ऐसी दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से एक शिकायत कल्पित वरिष्ठता प्रदान करने के संबंध में थी। विगत में सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र ने माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2000 के सीडब्लयूजेसी संख्या 4445 में दिनांक 25.02.2003 के इनके आदेश के तहत की गई अभ्युक्ति के अनुसरण में इस मामले की जाँच की थी। दूसरी शिकायत दो कर्मचारियों की वरिष्ठता को गलत तरीके से नकारने के विषय में था जिस पर सेल ने कार्रवाई की है।

(ख): सेल में संयंत्र/यूनिट के कर्मचारियों की वरिष्ठता को निर्धारित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

- गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिये वरिष्ठता की संगणना उनके ग्रेड/कलस्टर, पदोन्नति क्रम में उनकी प्रविष्टि के आधार पर की जाती है।
- कार्यपालक कर्मचारियों के लिये वरिष्ठता का निर्धारण वेतन/ग्रेड में उनके आने की तिथि द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(ग): बोर्ड स्तर से नीचे स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु सेल कार्मिक मामलों पर निर्णय लेने के लिये सक्षम है।

****